राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.6/निरीक्षण/टाईम्स सिस्टम/2013/ 856-858 दिनांक : 08/10/13

राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु-2) विभाग पत्रांक प.3(39)प्र0सु0/अनु. 2/97 दिनांक 28.04.2011 की पालना में विभाग के परिपत्र क्रमांकः **एफ.8/कम्प्यूटर/** Times/2013/ के निरन्तर में विभाग के अधिकारियों के दौरे/रात्रि विश्राम **वर्षवार** निम्न प्रकार से पुनः निर्धारित किये जाते है :-

क्रसं	अधिकारी	कार्यालय	वर्ष के दौरान निरीक्षण	
			दौरे	रात्रि विश्राम
1	अतिरिक्त महानिरीक्षक, मुख्यालय, अजमेर	उप महानिरीक्षक/उपपंजीयक कार्यालय	40	15
2	वित्तीय सलाहकार मुख्यालय, अजमेर	उप महानिरीक्षक/उपपंजीयक कार्यालय	30	12
3	वरिष्ठ लेखाधिकारी मुख्यालय, अजमेर	उप महानिरीक्षक/उपपंजीयक कार्यालय	30	12

समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित प्रावधान के अनुसार **माहवार** अपने दौरे, निरीक्षण करते हुए, कार्य सम्पन्न करके निरीक्षण रिपोर्ट Times Website पर अपलोड करें एवं उसकी एक प्रति विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

आपको आवंटित लक्ष्योंनुसार दौरे एवं रात्री विश्राम की फिडिंग Times Website पर करना अनिवार्य है। इस हेतु प्रत्येक माह की सूचना आगमी माह की 10 तारीख से पूर्व फिडिंग करना सुनिश्चित करें अन्यथा उक्त माह की सूचना शून्य होकर फ्रीज हो जायेगी, जिसमें बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में आपको दिनांक 26-4-2013 को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अतः इस कार्य को विशेष प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करावें।

विभाग में जनलेखा समिति/सी0ए0जी0 प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की पालना एवं आक्षेपित दस्तावेजों में उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही के परिवेक्षण एवं आक्षेपानुसार आक्षेपित राशि की वसूली के संदर्भ में की गई कार्यवाही, विभाग के आन्तरिक लेखा जांच दल द्वारा गठित वित्तीय आक्षेपों में आक्षेपित राशि के वसूली/प्रकरण दर्ज की जांच एवं परिवेक्षण हेतु विभाग के वित्तीय सलाहकार एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा भी उपपंजीयक कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है जिससे महालेखाकार/आन्तरिक लेखा जांच प्रतिवेदनों में गठित आक्षेपों पर निर्धारित समय अवधि में राशि वसूली की कार्यवाही का परिवेक्षण किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार निरीक्षण में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती जावें। यदि आप द्वारा इसमें कोई लापरवाही बरती जाती है तो आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है, अतः सूचित रहें।

8.10.13

(रामखिलाड़ी मीणा)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.6/निरीक्षण/टाईम्स सिस्टम/2013/ 859-1033 दिनांक : 02/10/13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक-डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर / समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. समस्त उप पंजीयकगण राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को अधिसूचना की प्रति विभाग की बेवसाईट **www.rajstamps.gov.in** पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जॉंच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति., महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर